

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के स्थापना अनुदान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹30.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।